

FORM -1
(For Linear Projects)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector & District Magistrate, Jhalawar

No. 72 /Judl/2016

Dated 5-01-2016

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No. 11-F/98-FC(Pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forests Rights) Act (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.936 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer P.W.D. Division Aklera in Jhalawar District for Construction of Binaganj road to Balbatpura falls within jurisdiction of Gram Panchayat Kolukhedi Maliyan Village Ganeshpura Dadawat, Ladpura Balram & Goverdhanpura in Manoharthana tehsil.

It is further certified that :-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.936 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Sub Division Level Committee and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure B.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas has given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

Encl.: As above


(Bishnu Charan Mallick)
District Collector & District Magistrate
Jhalawar

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति,आलावाड की दिनांक 10.8.2015 को दोपहर: 2.00 बजे आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण

अनुरोधित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मांगता) अधिनियम 2008 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 की धारा-03 (1) व 3 (2) के अन्तर्गत दिनांक 10.8.2015 को दोपहर 2.00 बजे जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, आलावाड की बैठक आरंभ की गई जिसमें उप खण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति अकलेरा, असनावर, मन्दरस्थाना द्वारा सम्पर्क शहकों के निर्माण कार्यों में आने वाली वन भूमि को आयवर्जन करने हेतु दावा प्रकरणों का अवलोकन व परीक्षण करने से पाया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के सहित वन भूमि के अधीन कोई अधिकार पत्र जारी नहीं हुआ है ना ही वर्तमान में कोई दावा लम्बित है ।

अतः निम्नलिखित विवरणानुसार संपर्क शहकों, जिनके संबंध में अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड अकलेरा,खानपुर के द्वारा प्रस्तुत निर्माण कार्यों में आने वाली वन भूमि को आयवर्जन करने की अधिशाषी की जाती है ।

क्र.सं.	संपर्क शहक का नाम	ग्राम पंचायत	उप खण्ड क्षेत्र	खसरा नम्बर	आयवर्जन के लिए अधिकृत भूमि
1	2	3	4	5	6
✓ 1	सम्पर्क शहक मन्दपुरीया	गुलबेड़ी	अकलेरा	1	580X10=5800 वर्गमीटर = 0.58 हेक्टेयर
✓ 2	सम्पर्क शहक मणेशपुरा लोकान	मन्दपुरासमीकान	मथाना	195/150	410X8=3280 वर्गमीटर = 0.328 हेक्टेयर
✓ 3	सम्पर्क शहक मणेशपुरा लोकान	मन्दपुरासमीकान	मथाना	149	820X8=6560 वर्गमीटर = 0.6560 हेक्टेयर
✓ 4	सम्पर्क शहक मणेशपुरा दलबट	कोल्लुखेड़ी मालियान	मथाना	199	390X9.0=3510 वर्गमीटर = 0.351 हेक्टेयर
✓ 5	सम्पर्क शहक लखिपुरा मन्तराम	कोल्लुखेड़ी मालियान	मथाना	516/275	510X9.0=4590 वर्गमीटर = 0.459 हेक्टेयर
✓ 6	सम्पर्क शहक मणेशपुरा	कोल्लुखेड़ी मालियान	मथाना	184/93	140X9.0=1260 वर्गमीटर = 0.126 हेक्टेयर
7	सम्पर्क शहक मणेशपुरा	सुन्दरल	असनावर	203	770 वर्गमीटर = 0.077 हेक्टेयर
8	सम्पर्क शहक सोकला	सुन्दरल	असनावर	91/15	6994 वर्गमीटर = 0.6994 हेक्टेयर
9	सम्पर्क शहक बर्दबेली	सुन्दरल	असनावर	192/101	2170 वर्गमीटर = 0.2170 हेक्टेयर

अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद,आलावाड

उप वन संरक्षक
आलावाड

जिला कलक्टर
आलावाड

कमाकतान अधिकारी अधिनियम/2015-16/586-93

दिनांक 10.8.2015

प्रतिनिधि सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय आलावाड ।
2. उप वन संरक्षक, आलावाड ।
3. उप खण्ड अधिकारी,अकलेरा,असनावर,मन्दरस्थाना ।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग,खण्ड अकलेरा,खानपुर ।
5. शक्ति मन्त्रवली ।

अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं परियोजना अधिकारी(माडा)
जिला परिषद,आलावाड

10/8/15

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

दिनांक 13/07/2015

वकील 412

श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद झालावाड़

15/7/15

विषय :- वीनागंज सड़क से बलबटपुरा के निर्माण में आ रही वन भूमि के प्रत्यावर्तन
बाबत।

6821
25/7/15

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वीनागंज सड़क से बलबटपुरा के मार्ग में ग्राम पंचायत कोलूखेडी मालीयान की 0.938 हेक्टर वन भूमि आ रही है जिसके प्रत्यावर्तन हेतु वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-03 (1) व 3 (2) के प्रावधानानुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता है। अतः निवेदन है कि इस हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित करने का कृपया करें।

इस हेतु ग्राम स्तरीय उपखण्ड स्तरीय समिति से अनुमोदन करवा लिया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है।

जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन का प्रारूप एवं जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जारी होने वाला प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है।

संलग्न उपरोक्तानुसार

भवदीय


(ए.म.एल. गुप्ता)

अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

दिनांक 12 / 03 / 2015 को ग्राम सरसिय वनाधिकार समिति ग्राम बलबटपुरा ग्राम पंचायत कोलूखंडी मालियान सहरील मनोहरधाना जिला झालावाड की बैठक सम्पन्न हुई। इसमें वर्ज विवरण के अनुसार निम्नांकित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) व 3 (2) के प्रावधानानुसार वनाधिकारी का कोई दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है।

क्रमिक	ग्राम	खसरा नंबर	ग्राम पंचायत	झायवर्जन के लिए दीयेत भूमि
1	गणेशपुरा दहावट	189	कोलूखंडी मालियान	$390 \times 9.0 = 3510$ वर्ग मिटर $= 0.351$ हेक्टर
2	लाडपुरा बल्लाम	515/75	कोलूखंडी मालियान	$510 \times 9.0 = 4590$ वर्ग मिटर $= 0.459$ हेक्टर
3	गोधनापुरा	164/93	कोलूखंडी मालियान	$140 \times 9.0 = 1260$ वर्ग मिटर $= 0.126$ हेक्टर
				कुल = 0.936 हेक्टर

ग्राम पंचायत
कोलूखंडी मालियान
ग्राम बलबटपुरा
जिला झालावाड

कोलूखंडी मालियान
ग्राम पंचायत
कोलूखंडी मालियान

दिनांक 18/07/2016 को उपखण्ड सरणीय वनाधिकार समिति मनोहरस्थाना की बैठक सम्पन्न हुई। इसमें चर्चा विकरण के अनुसार निम्नांकित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारी की मन्मथता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) व 3 (2) के प्रावधानानुसार वनाधिकारी का कोई दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है।

क्रमांक	ग्राम	खसरा नंबर	ग्राम पंचायत	जायवर्जन के लिए वंचित भूमि
1	गणेशपुरा बड़गांव	189	कोलूखेड़ी मालियान	$360 \times 9.0 = 3510$ वर्ग मिटर $= 0.351$ हेक्टर
2	लाहपुरा बलराम	516/75	कोलूखेड़ी मालियान	$510 \times 9.0 = 4590$ वर्ग मिटर $= 0.459$ हेक्टर
3	गोर्धनपुरा	164/93	कोलूखेड़ी मालियान	$140 \times 9.0 = 1260$ वर्ग मिटर $= 0.126$ हेक्टर
				कुल = 0.936 हेक्टर

मनोहरस्थाना

क्षेत्रीय वन अधिकारी

मनोहरस्थाना

विकास अधिकारी

मनोहरस्थाना

उपखण्ड अधिकारी

मनोहरस्थाना

कार्यालय ग्राम पंचायत कोल्हखेडी मालियान

पं.स. मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज.)

क्रमांक :-

दिनांक 13/7/2015

शीर्षक - कार्यालयी कार्रवाई में देय
- कार्यालयी विभाग मुख्यालय

विषय - झालावाड़ प्रमाण पत्र

सन्दर्भ -

श्री मातृ कार्यालयी कार्रवाई में देय कार्यालयी विभाग मुख्यालय द्वारा ग्राम मुख्यालय
द्वारा प्रेषित नं. 199 की 0.35 ई.टी. 2, ग्राम मुख्यालय कार्यालयी मुख्यालय नं. 316/75
की 0.459 रेकॉर्ड 0 एवं ग्राम मुख्यालय कार्यालयी मुख्यालय नं. 161/92 की 0.126 रेकॉर्ड 0 ग्राम
मुख्यालय कोल्हखेडी मालियान के ग्राम विभाग की ग्राम में से होकर गई कार्यालयी कार्रवाई
की जा रही है। से प्रमाण पत्र का निर्माण किया जाता है। तो ग्राम मुख्यालय कोल्हखेडी मालियान
में कोई आपत्ति नहीं है।

यह झालावाड़ प्रमाण पत्र 31/7/2015 को ग्राम मुख्यालय
कोल्हखेडी मालियान से गेहें हस्ताक्षर एवं कार्यालयी मुख्यालय से जारी किया गया


उत्तरदायी

डा. 13 कोल्हखेडी मालियान
पं.स. मनोहरथाना जिला झालावाड़

02

कार्यालय ग्राम पंचायत कोल्हूखेड़ी मालियान

पं.स. मनोहरथाना जिला झालावाड(राज.)

अपार्कितः -

दिनांक 26/11/2019

શીમાન-પ્રશિસાદી અગિયમના

संनित्तु विभाङ्गं द्रव्यं तद्वत्तु

विषय: शुद्धि राश्ट्र सीमांकन से सम्बन्धित राष्ट्रीय समूह बनाने हेतु

संस्कृत

उपरोक्त विषय से संबंधित है कि प्रार्थना, सार्वजनिक स्थानों पर सेवेक्षण करके
पार्क की सड़क बनेगी के लिए 1070 मीटर लंबाई का विभाग से जुड़ा है।
सर्वेक्षण के सभी कामपारी इच्छा से जुड़े हैं। उन कारणों की वजह से
सर्वेक्षण विभाग द्वारा पार्क की सड़क से संबंधित के लिए एक विभाग
से संबंधित से संबंधित पार्क के लिए 1070 मी. लंबाई का 5.50 मीटर चौड़ाई
की एक विभाग की इच्छा करीबान करे का प्रमाण संख्या 5 से रिक्त नमूने
एवं एक विभाग के प्रमाण की दो दो वाली संख्या 82 मिलान की जा रही है।

सोलह - प्रस्ताव १०१ व. ८

प्राप्त लेखक विद्वत् सारि
ग्राम पञ्चसाली नदी तीरे कानपुर
वृक्ष वनोद्धारार्थ जिन्ना कायम की गयी

* कक्षागत एवं अंगणवाडी के बच्चों को शिक्षित करने हेतु १९. मंगलवार को
- १२/२/२०

— 12/2/2014

नी मातृ विद्यालय स्थापित की प्रेरणा केन्द्रासुत नामिनि मति प्रकाशनी क छात्र प्रकाश

2372 - 2415 दिनु 1/22004 की अनुपालना मे की गति समुचीकई
के 1/22004 की अनुपालना मे आकलित

प्रत्येक प्रमाणपत्र को प्रेषित करने वाले अधिकारी का नाम और पद लिखना होगा।

[illegible]

12/02/2019 लुधियाना का उद्विग्न जल और तट पर
किया गया प्रशिक्षण किनारे की खाड़ी और तट पर प्रतिक्रियाओं के तहत
होने वाला विचार

गुरु वसिष्ठो मे मागं लिखत

1. अभिहित अर्थ व्याख्या

2. श्री लाल मोदी उद्देशित

3

u. ~~Alu~~ सिंह माधु-बाल

5. द्वितीय कोश 20/11/2018

Q. 11. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$ $\therefore \frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$

7-263444-45 45a. 9799237376

8. व्यापक लिट एन डी रा मा वि ओ अकेडी भाभाभाय न्यासी

9. अनुयाय १० ६० २५ ३० १० की लंबाई मापें। अनु

10. अभिप्राय

प्रधानाचार्य महोदय जी को निवेदन है कि

[illegible]

12. आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा

12

वि.सं. 2. प्राक कला के प्राक कोलुटेनी नामिका के जलाशय परिलोका से जोड़े हेतु प्रस्ताव हेतु मन्त्रालय एवं समाज से अनुमति प्राप्त करना ताकि प्राक कोलुटेनी के जलाशय से मिठाई मिल सके इसका प्रस्ताव समाज एवं समाज के मिठाई विभाग एवं कोलुटेनी के मिठाई हेतु प्रस्ताव परिलोका किता मना मिलाता है. समाज से अनुमति प्राप्त करना

[illegible]

प्रश्नांक १। लेखक जो कहना चाहते हैं, उसे कहने में हिचक नहीं करते।
जबकि उनकी समझ में आरित्य है, तब तो वह बिल्कुल गलत हो जाते हैं।

1. सर्वोत्तम विचारों का अर्थ - 15.00 लाख
2. शुद्धि का अर्थ - 25.00 लाख

प्रमाण नं. 5 - मरु कालावत कोठारे की मालिका की सम्पत्ति का एक निष्कर्षण रेखा चित्र प्रस्तुत है।
 इसमें 1070 मीटर लंबाई का एक भूखंड है जो एक बंगला के लिए एक वाणिज्यिक इलाके में स्थित है। इस भूखंड की लंबाई 1070 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है।
 इस भूखंड के एक कोने पर एक बंगला है जिसकी लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है।
 इस भूखंड के एक कोने पर एक बंगला है जिसकी लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है।
 इस भूखंड के एक कोने पर एक बंगला है जिसकी लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है।

आम सभा की बैठक सुबह १०:३० बजे की गई।
समाधान-पत्रिका समाप्त की गई।